न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)
पीठासीन अधिकारी श्रीमती शिल्पा सिंह, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या – 168 /21

उनवान

1– छोटू पिता सोनाथ जाट निवासी सोला का खेड़ा
2– बाली पुत्री सोनाथ जाट निवासी सोला का खेड़ा
3– रामचन्द्र पिता सोनाथ जाट निवासी सोला का खेड़ा

– प्रार्थीगण

बनाम

1– रामकुंवार पिता लादू जाट निवासी जुवारों का खेड़ा
2– हरनाथ पिता कल्याण जाट निवासी जुवारों का खेड़ा
3– छगना पिता भागीरथ जाट निवसी जुवारों का खेड़ा
4– शिवराज पिता धूकल जाट निवासी जुवारों का खेड़ा
5– गोपाल पिता हीरा जाट निवासी जुवरों का खेड़ा
6– रामधन पिता देबी जाट निवासी जुवारों का खेड़ा

– विपक्षीगण

उपस्थिति :– श्री रामप्रसाद जाट
अधिवक्ता प्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

–:: निर्णय ::–

दिनांक– 10 / 11 / 2021

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्ध विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है – प्रार्थीगण के ग्राम **जुवारों का खेड़ा** तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में स्थित **आराजी नम्बर 123 रकबा 0.04 है0** कुल किता **1** रकबा **0.04** हैक्टेयर की प्रार्थीगण संयुक्त खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढ़ी करवाई जावें।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर **विपक्षीगण** को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थीगण सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी **ग्राम जुवारों का खेड़ा संवत 2073 से 2076** तक का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् की **प्रार्थीगण संयुक्त खातेदार** दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहते है। अतः **प्रार्थीगण** द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा **जुवारों का खेड़ा** में स्थित प्रार्थीगण की उपरोक्त संयुक्त खातेदारी की आराजीयात् **किता 1 रकबा 0.04 हैक्टेयर** की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नही करते हुये पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर **फीस 500/– रूपये** कायम किये जाते है, जो प्रार्थीगण से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक **10/11/2021** को केम्प कोर्ट मुख्यालय ग्राम पंचायत प्रतापपुरा पर सुनाया गया।

(शिल्पा सिंह **IAS**)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.

प्रतिलिपि :– तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावें।

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.